न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	371/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	399/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010010812026

हजूर उर्फ मघर पुत्र श्री रज़ाक खां उर्फ जाकी निवासी चक 11 आरपी ढाणी खेत खुद लखुवाली पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन की प्राथमिकी सं0 537/2023 से संबंधित विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0 23/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–
श्री अमित मदान, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 01.06.2026**

1. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन की प्राथमिकी सं0 537/2023 से संबंधित नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0 23/2024 में प्रार्थी/अभियुक्त हजूर उर्फ मघर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 29.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर संबंधित पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 22.07.2023 को परिवादी नन्दराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.07.2023 की रात्रि को वह अपने परिवार सहित घर पर सो रहा था। वह छत पर व उसका परिवार नीचे सो रहा था। 20–21 की मध्य रात्रि को किसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी छत पर चढ़ा और पेड़ी का कुण्टा खोलकर नीचे आया और अलमारी खोलकर उसमें रखे एक जोड़ी सोने के टोप्स साढ़े तीन ग्राम, एक चांदी की पोजब की जोड़ी 10 ग्राम, दो जोड़ी बिछिया, दो सोने की अंगूठी 8 ग्राम, तीन जोड़ी चांदी के बच्चे के कड़े, एक चांदी की अंगूठी, 6–7 हजार रूपये नगद व एक मोबाईल वीवो 100 ए चोरी कर ले गया। उसे सुबह उठने पर चोरी का पता चला। अड़ौस पड़ौस में तलाश की तो पता चला कि उनसे कुछ दूरी पर उनके एक पड़ौसी का मोबाईल व रकम चोरी हुए हैं.....आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाऊन में प्राथमिकी सं0 537/2023 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व सह–अभियुक्त के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य प्रकरण से प्रोडेक्शन वारण्ट पर लेकर इस मुकदमा में झूठा लिप्त किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त 2023 से अभिरक्षा में है। लम्बे अनुसंधान के बाद प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता का गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी के घर में घुसकर जेवरात चुराकर ले जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 13 आपराधिक प्रकरण चोरी के अपराध से संबंधित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। समाज में चोरी की घटनाओं में दिन–प्रति–दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
1	97/2023 भाववाला	–	379, 379B, 411, 34, 473 IPC	–	–	–	–
2	257/2023 हनुमानगढ़ टाऊन	–	379, 34 IPC	–	–	–	–
3	276/2020 हनुमानगढ़ टाऊन	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
4	596/2019 हनुमानगढ़ टाऊन	–	4/25 arms act	–	–	–	–
5	475/2019 हनुमानगढ़ टाऊन	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
6	436/2019 हनुमानगढ़ टाऊन	–	341, 323, 336, 307, 143 IPC	–	–	–	–
7	280/2019 हनुमानगढ़ टाऊन	–	323, 341, 325, 34 IPC	–	–	–	–
8	286/2019 हनुमानगढ़ टाऊन	–	4/25 arms act	–	–	–	–
9	409/2016 हनुमानगढ़ टाऊन	–	4/25 arms act	–	–	–	–
10	671/2013 हनुमानगढ़ टाऊन	–	447, 379 IPC	–	–	–	–
11	450/2018 हनुमानगढ़ टाऊन	–	323, 341, 435, 34 IPC	–	–	–	–
12	130/2018 हनुमानगढ़ टाऊन	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
13	612/2015	–	323, 341, 427, 34	–	–	–	–

	हनुमानगढ़ टाऊन		IPC				
14	276/2015 सदर हनुमानगढ़	–	395, 397 IPC, 3/25 arms act	–	–	–	–
15	322/2017 हनुमानगढ़ जंक्शन	–	379 IPC	–	–	–	–
16	269/2017 संगरिया	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
17	73/2021 भादरा	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
18	551/2022 रावतसर	–	379 IPC	–	–	–	–
19	12/2021 सिद्धमुख	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
20	54/2021 हमीरवास	–	457, 380 IPC	–	–	–	–
21	53/2021 हमीरवास	–	457, 380 IPC	–	–	–	–

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी के घर में घुसकर सोने–चांदी के जेवरात, नगदी व मोबाईल चोरी कर ले जाने का धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता का गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 21 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने बताये गये हैं, जिनमें से 13 आपराधिक प्रकरण चोरी के अपराध से संबंधित होने बताये गये है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी होना प्रकट होता है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाता है, तो उसके द्वारा इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गंभीर है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक आचरण व अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त हजूर उर्फ मघर की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/–
(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–
(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

MANISH KUMAR
STENO GRADE Ist
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.06.05 11:23:47 +0530